

11.01.2022:—वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्तागण के निवेदन पर पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्तागण की बहस को मध्यनजर रखते हुए। वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में पर्चा डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफ्तर हो।



Web Copy - Not Official